I/466343/2023

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्या: 1216/2023-सी०एक्स०-3

लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग फतेहाबाद आगरा, आगरा दक्षिण, फिरोजाबाद महानगर, एत्मादपुर, बरहन (आगरा) और नारखी फिरोजाबाद को विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है ;

और चूँकि उसके सम्बन्ध में किसी सूचना से या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने, भारत का राजपत्र, असाधारण दिनॉक 11 मई, 1963 के भाग दो, धारा 3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285 दिनॉक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है ;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या:एस0ओ0-1285,दिनॉक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **''प्रतिषिद्ध स्थान''** घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रेतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
400/200/132 के0वी0 उपकेन्द्र सोफीपुर, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।	
पूर्व में-	गाटा संख्या-12, श्रीकृष्ण आदि ।
पश्चिम में-	सीमा ग्राम-दतौंजी ।
उत्तर में-	गाटा संख्या-221, वन विभाग की भूमि ।
दक्षिण में-	गाटा संख्या-12, केशव आदि ।

आज्ञा से,

Signed by संजय प्रसाद
(संजय प्रसाद)
Date: 11-10-2023 17:47:05
प्रमुख सचिव
Reason: Approved